राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर नीमराना (कोटपूतली–बहरोड)

पीठासीन अधिकारी : श्री महेन्द्रसिंह यादव (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद सं0	तारीख रजू	निर्णय दिनांक
460 / 2024	28.10.2024	06.08.2025

उनवान:

1. हरिसिह उम्र 64 वर्ष पुत्र बिशम्बरदयाल जाति अहीर
2. अतरसिंह उम्र 58 वर्ष पुत्र बिशम्बरदयाल जाति अहीर
3. सोमबीर उम्र 52 वर्ष पुत्र बिशम्बरदयाल जाति अहीर
4. राजेन्द्र उम्र 46 वर्ष पुत्र बिशम्बरदयाल जाति अहीर सभी निवासी ग्राम गण्डाला तहसील बहरोड जिला कोटपूतली–बहरोड राज0।

.......वादीगण

बनाम

1. प्रहलाद पुत्र छाजूराम जाति अहीर निवासी ग्राम गण्डाला तहसील बहरोड जिला कोटपूतली–बहरोड राज0।
2. दयानन्द पुत्र लालसिंह जाति अहीर निवासी ग्राम गण्डाला तहसील बहरोड जिला कोटपूतली–बहरोड राज0।
3. विरेन्द्र पुत्र लालसिंह जाति अहीर निवासी ग्राम गण्डाला तहसील बहरोड जिला कोटपूतली–बहरोड राज0।
4. उप पंजीयक नीमराना जिला कोटपूतली–बहरोड राज0।
5. लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार साहब नीमराना जिला कोटपूतली–बहरोड

.......प्रतिवादीगण

दावा बाबत इस्तकरार एवं हुक्म ईम्तनाई दवामी

उपस्थिति:– श्री नोपेन्द्र कुमार शर्मा योग्य अधिवक्ता वादीगण की ओर से।
श्री दिनेश कुमार शर्मा योग्य अधिवक्ता प्रतिवादी सं0 1 की ओर से

।। निर्णय ।।

पत्रावली पेश हुई। प्रतिवादी सं0 1 द्वारा न्यायालय मे उपस्थित होकर जरिये अधिवक्ता श्री दिनेश कुमार शर्मा के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 मय शपथ पत्र पेश किया गया कि उक्त अनुवानी दावा वादीगण द्वारा वास्तविक तथ्यो को छुपाते हुऐ, न्यायालय श्रीमान् को मुगालता मे रखते हुऐ झुठा मुकदमा पेश किया है जबकि निर्णय एवं डिक्री दिनांक 26.02.2001 के विरूद्ध अपील माननीय न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी द्वितीय अलवर के समक्ष बअनुवान प्रहलादसिंह बनाम विशम्भर वगै0 अपील सं0 11/2011 लम्बित है। जिसमे तारीख पेशी दिनांक 11.07.2025 की नियत है। माननीय अपीलीय अधिकारी का स्टे का नोट राजस्व रिकार्ड मे अंकित है। लेकिन फिर भी वादीगण द्वारा न्यायालय श्रीमान् को मुगालता मे रखते हुऐ कोलेसिव डिक्री प्राप्त करने के आशय से यह झुठा दावा पेश किया गया है। जो दावा आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 की परिधि मे आने के कारण इसी स्टेज पर खारीज किये जाने योग्य है । खारिज करने की प्रार्थना की गई

प्रार्थना पत्र की नकन वकील वादीगण को दिलवाई गई। वकील वादी द्वारा प्रतिवादी सं0 1 द्वारा पेश प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 के सभी तथ्यो को गलत बताते हुऐ कथन किया कि वादीगण द्वारा दावा सही तथ्यो के आधार पर पेश किया गया है तथा वादीगण ने अपने दावा के जिमन नम्बर 3 मे निर्णय व डिक्री दिनांक 26.02.2001 के संबंध मे स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है। इसलिए वादीगण शुद्ध हस्त से दावा लेकर आये है जो दावा पूर्ण सुनवाई के बाद मैरिट पर निरस्तारण होने योग्य है। इसलिए वादीगण का वाद आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 की परिधि मे नही आता है। बल्कि प्रतिवादी द्वारा गलत

उपखण्ड अधिकारी
नीमराना (कोटपूतली-बहरोड)

तथ्यो के आधार पर यह प्रार्थना पत्र पेश किया है जो मय खर्चा खारिज होने योग्य है खारिज किया जाने की प्रार्थना की गई।

पत्रावली वास्ते बहस नियत की गई। हमने उभय पक्षो की बहस सुनी गई। वकील प्रतिवादी ने अपने प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दोहराते हुऐ वादीगण का वाद आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 की परिधि मे आने के कारण इसी स्टेज पर खारिज किया जाने की प्रार्थना की गई। वही वकील वादीगण ने अपने जवाब प्रार्था पत्र के तथ्यो का दोहराते हुऐ, वादीगण का वाद आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 की परिधि मे नही आने के कारण दावा मैरिट पर उभय पक्षो की साक्ष्य सबूतो के आधार पर निरस्तारण होने योग्य बताते हुऐ, प्रतिवादी सं0 1 द्वारा पेश प्रार्थना पत्र मय खर्चा खारिज किया जाने के तर्क दिये गये।

हमने उभय पक्षो की बहस पर गहनता से मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं तथ्यो का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। प्रतिवादी सं0 1 द्वारा अपने प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 के साथ पेश दस्तावेज निर्णय व डिक्री दिनांक 26.02.2001 उवन बिशम्भरदयाल व अन्य बनाम प्रहलादसिंह व अन्य एवं उक्त निर्णय के वियद्ध माननीय न्यायालय भू–प्रबन्ध एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी के विरूद्ध लम्बित अपील उनवान प्रहलादसिंह बनाम विशम्भर व अन्य अपील सं0 11/2011 की सत्यप्रतिलिपी पेश की गई है। जिसका अध्ययन किया जाने से सामने आता है कि उक्त अनुवानी दावा मे वर्णित विवादित खसरा नम्बर हाल 1643,1644 वाके ग्राम दौसोद की बाबत इस न्यायालय द्वारा कुर्रे रिपोर्ट के आधार पर तकसीम की डिक्री दिनांक 26.02.2001 को पारित की गई थी। जिस डिक्री के विरूद्ध माननीय भू–प्रबन्धक एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी अलवर के समक्ष अपील आज भी लम्बित है और अपील लम्बित रहते हुऐ ही वादीगण द्वारा यह दुसरा दावा उन्ही खसरा नम्बर 1643,1644 वाके ग्राम दौसोद तह0 नीमराना की हाल रिकार्ड मे गलत खातेदारी बताकर पेश किया गया है। जबकि इस सम्बन्ध मे अपीलीय न्यायालय मे अपील लम्बित है। खसरा नम्बर 1643,1644 वाके ग्राम दौसोद की बाबत निर्णय सही पारित किया गया या गलत पारित किया गया इस संबंध मे अपीलीय न्यायालय द्वारा निर्णय पारित किया जावेगा। इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को बदलने या निर्णय के आधार पर दर्ज खातेदारी को बदलने का अधिकार इस न्यायालय को नही है। इस प्रकार पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं तथ्यो के पूर्ण अवलोकन से प्रतिवादी सं0 1 द्वारा अपने प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 सिद्ध पाया जाने के कारण, प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य पाया जाता है।

:: आदेश ::

अतः प्रतिवादी सं0 1 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 स्वीकार किया जाकर,वादीगण द्वारा पेश **''दावा बाबत इस्तकरार हक एवं हुक्म ईम्तनाई दवामी अन्तर्गत धारा 88,89,188 आर0टी0ए0 ''** को खारिज किया जाता है। खर्चा मुकदमा पक्षकारान अपना–अपना वहन करे । तदानुसार पर्चा डिक्री जारी हो । पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दफतर दाखिल हो

निर्णय आज दिनांक 06.08.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नीमराना (को.ब.)

(उपेन्द्रसिंह यादव)
(आर.ए.एस.)
उप खण्ड अधिकारी
नीमराना (कोटपूतली–बहरोड)

।। पर्चा डिक्री ।।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर नीमराना (कोटपूतली–बहरोड)

पीठासीन अधिकारी : श्री महेन्द्रसिंह यादव (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद सं0	तारीख रजू	निर्णय दिनांक
460 / 2024	28.10.2024	06.08.2025

उनवान:

1. हरिसिह उम्र 64 वर्ष पुत्र बिशम्बरदयाल जाति अहीर
2. अतरसिंह उम्र 58 वर्ष पुत्र बिशम्बरदयाल जाति अहीर
3. सोमबीर उम्र 52 वर्ष पुत्र बिशम्बरदयाल जाति अहीर
4. राजेन्द्र उम्र 46 वर्ष पुत्र बिशम्बरदयाल जाति अहीर सभी निवासी ग्राम गण्डाला तहसील बहरोड जिला कोटपूतली–बहरोड राज0।

.......वादीगण

बनाम

1. प्रहलाद पुत्र छाजूराम जाति अहीर निवासी ग्राम गण्डाला तहसील बहरोड जिला कोटपूतली–बहरोड राज0।
2. दयानन्द पुत्र लालसिंह जाति अहीर निवासी ग्राम गण्डाला तहसील बहरोड जिला कोटपूतली–बहरोड राज0।
3. विरेन्द्र पुत्र लालसिंह जाति अहीर निवासी ग्राम गण्डाला तहसील बहरोड जिला कोटपूतली–बहरोड राज0।
4. उप पंजीयक नीमराना जिला कोटपूतली–बहरोड राज0।
5. लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार साहब नीमराना जिला कोटपूतली–बहरोड

.......प्रतिवादीगण

दावा बाबत इस्तकरार एवं हुक्म ईम्तनाई दवामी

उपस्थितिः– श्री नोपेन्द्र कुमार शर्मा योग्य अधिवक्ता वादीगण की ओर से।
श्री दिनेश कुमार शर्मा योग्य अधिववत्ता प्रतिवादी सं0 1 की ओर से

:: आदेश ::

अतः प्रतिवादी सं0 1 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 स्वीकार किया जाकर,वादीगण द्वारा पेश **"दावा बाबत इस्तकरार हक एवं हुक्म ईम्तनाई दवामी अन्तर्गत धारा 88,89,188 आर0टी0ए0 "** को खारिज किया जाता है। खर्चा मुकदमा पक्षकारान अपना–अपना वहन करे ।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 06.08.2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी
नीमराना (कोटपूतली-बहरोड़)

महेन्द्रसिंह यादव
(आर.ए.एस.)
उप खण्ड अधिकारी
नीमराना (कोटपूतली–बहरोड)